>

Title: Need to provide adequate compensation as per the laid down norms to

people displaced due to acquisition of their land by CCL and BCCL and Bokaro Steel Plant in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) ः भारत सरकार के उपक्रमों सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. एवं बोकारो स्टील प्लांट आदि जो झारखण्ड राज्य में स्थित हैं, इनके द्वारा भूमि अधिगृहण के पश्चात् धरती पुत्र दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। इन्हें न तो नौकरी दी जा रही है और न ही इन्हें समुचित मुआवजा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इन्हें विस्थापन का पर्चा/प्रमाण-पत्र भी नहीं दिए जा रहे हैं। इससे संबंधित सरकार द्वारा विस्थापन पर नियम तो बने हैं, परंतु इसका सही अनुपालन इन उपक्रमों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो न तो राज्य सरकार के हित में है और न ही इन उपक्रमों एवं विस्थापितों के हित में है। विस्थापित एवं ग्रामीण आए दिन आंदोलन कर रहे हैं जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भय से ग्रामीण नई परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं देना चाहते हैं। इस कारण से राज्य में नए उद्योग लगाने एवं इन्हीं उपक्रमों को अपने कार्य विस्तार के लिए जनता का पारस्परिक सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है जिससे राज्य में उद्योग एवं रोजगार की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं।

अतः मेरी मांग है कि उक्त उपक्रमों को जनहित में विस्थापित-पूर्ण दर्शन के नियमानुसार कार्य करने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।